रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249512 CG-DL-E-18102023-249512

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] No. 593] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2023/आश्विन 25, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि 746(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय प्रारुप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 476 (अ), तारीख 3 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 4 जुलाई, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारुप नियमों के बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1989 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (आठवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

6610 GI/2023 (1)

- 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 125ठ के पश्चातु निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु :-
- " 125ड द्रव या संपीड़ित गैस हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन यानों का टाईप अनुमोदन- द्रव या संपीड़ित गैस हाइड्रोजन द्वारा सशक्त एम और एन श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन यानों के टाईप अनुमोदन के लिए सुरक्षा और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाएं एआईएस 195:2023 के अनुसार होगी, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश को अधिसूचित नहीं किया जाता है:

परंतु आंतरिक दहन इंजन यानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश आईएस 16061:2021 के अनुसार होंगे।"

[फा. सं.आरटी-11036/211/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 720(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2023 द्वारा अंतिम रुप से संशोधित किए गए थे।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2023

**G.S.R.** 746(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 476(E), dated the 3<sup>rd</sup> July, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 4<sup>th</sup> July, 2023;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- **1. Short title and commencement -** (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 125L, the following rule shall be inserted, namely:-
  - "125M- Type approval of liquid or compressed gaseous hydrogen internal combustion engine vehicles-The safety and procedural requirements for type approval of internal combustion engine vehicles of M and N categories powered by liquid or compressed gaseous hydrogen shall be in accordance with AIS 195:2023, till corresponding BIS specification is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986):

Provided that the hydrogen fuel specifications for internal combustion engine vehicles shall be in accordance with IS 16061: 2021."

[F. No. RT-11036/211/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 720(E) dated the 4<sup>th</sup> October, 2023.